संख्याः 173/XVII(1)/11–42(प्रकोष्ठ)/2007/टी0सी0–II

प्रेषक,

एम0एच0खान,
सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ। देहरादूनः दिनांकः 04 अप्रैल,2011

विषय : जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक द्वारा अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास की योजना में प्राविधानित **₹ 100.00 लाख (₹ एक करोड़ मात्र)** की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए वर्ष 2011–12 में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि का व्यय योजना संचालन सम्बन्धी शासनादेश संख्याः125/XVII(1)/09 –42(प्रकोष्ठ)/2007, दिनांक 13फरवरी, 2009 में उल्लिखित प्रक्रिया एवं शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– कोषागार से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा जितनी तत्काल कार्यदायी संस्था को दिये जाने की आवश्यकता हो। किसी भी दशा मे धनराशि का आहरण कर बैंक खाते /पोस्ट आफिस खाते में नही रखा जायेगा।

4– उक्त आबंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये।

5– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

क्रमशः .....2 पर

6– स्वीकृत धनराशि का उपयोग योजनान्तर्गत संस्तुत कार्यो हेतु प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करते हुए सम्पूर्ण कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण भी प्राप्त कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को अधिकतम वित्तीय वर्ष समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर अवश्य प्रस्तुत किया जायेगा।

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–31 "आयोजनागत" के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4225–अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–800–अन्य व्यय–03–अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास–00–के मानक मद – "24–वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एच0खान)
सचिव एवं आयुक्त.

संख्याः– 173 (1)/XVII(1)/11–42(प्रकोष्ठ)/2007/टी0सी0–II/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव,मा0 मंत्री, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्रीजी के अवलोकनार्थ ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तराखण्ड।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर,देहरादून।
12. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(बी0आर0टम्टा)
अपर सचिव.